1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी निग-1921-II-16

श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 16-6-2016 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट 16/6/16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीनाथ पुत्र श्री नंदकुमार
2. विश्वनाथ पुत्र श्री नंदकुमार
3. रंगनाथ पुत्र श्री नंदकुमार

समस्त निवासीगण ग्राम छैलाई तहसील ईसागढ जिला अशोक नगर वर्तमान निवास बौहरे कालोनी अशोक नगर जिला अशोक नगर म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री बद्रीप्रसाद निवासी ग्राम धुर्रा तहसील ईसागढ जिला अशोक नगर म.प्र.
2. राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 सारसखेडी तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 सारसखेडी तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 29 अ12 /15–16 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2016 के विरूद्ध

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाकंन का आवेदन प्रस्तत कर जिसमें सर्वे नं. 33 , 797/1 का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 1921–दो/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2017	आवेदक अभिभाषक श्री विनोद श्रीवास्तव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । 2/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर राजस्व निरीक्षक ने आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया जिसे आवेदकगण द्वारा लेने से इंकार किया। सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचना पत्र लेने से इंकार करने टीप को गवाहों द्वारा प्रमाणित किया है। तत्पश्चात विधिवत सीमांकन कार्यवाही संपादित की जाकर आदेश दिनांक 5–6–2016 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गई है। सीमांकन के समय एवं अंतिम आदेश के पूर्व किसी प्रकार कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। सीमांकन में स्थल पंचनामा एवं फील्डबुक संधारित कर विधिवत कार्यवाही की गई है। स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन आदेश दिनांक 5–6–2016 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। आवेदक चाहें तो अपने स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने के स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	